कार्यालय, जिला परिषद्, पटना

आवश्यक सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या–139/2018 (अशेष कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) मे दिनांक 18.01.2019 को पारित आदेश के अनुपालन मे शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–ज्ञापांक :–11/नि01–09/2008 (अंश) II 894 दिनांक 28.05.2019 मे दिये निदेश के आलोक मे संबंधित हितबद्ध अभ्यर्थी, जिनके नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियोजन पत्र निर्गत नहीं किया गया था एवं पद को सुरक्षित रखा गया, को नियोजन पत्र प्राप्त करने हेतु निम्न विवरणी अनुसार आमंत्रित किया जाता हैः–

दिनांक – 12.06.2019

स्थल – बी0एन0कॉलेजिएट स्कूल, बाँकीपुर, पटना।

समय – 11:00 बजे पूर्वाहन।

उक्त तिथि को संबंधित सभी हितबद्ध अभ्यर्थी STET मूल प्रमाण पत्र सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, नियोजन प्रक्रिया मे शामिल होने के साक्ष्य से संबंधित अभिलेख की मूल प्रति एवं स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति (दो सेट में फोल्डर सहित) एवं दो फोटो तथा इस आशय का शपथ पत्र (मूल प्रति मे कार्यपालक दंडाधिकारी का) देगें कि वे किसी भी नियोजन इकाई मे पूर्व से समान वेतन पर नियोजित नहीं है।

दिनांक 12.06.2019 को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के संबंध मे विभाग द्वारा अलग से सूचना प्राप्त होने की स्थिति मे अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

निदेशक (डी0आर0डी0ए0)
–सह–
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, पटना।